20.03.18

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।

कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 16 विवादित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है, जिन्होने मौके पर पूर्व में मौखिक बंटवारा विवादग्रस्त भूमि का कर रखा है तथा उसके अनुसार वह अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर अपने-अपने हिस्से का उपयोग-उपभोग कर रहे है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट जो विवादग्रस्त भूमि का सहखातेदार काश्तकार है, को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही इकतरफा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से विधि के सुस्थापित सिद्धांतो के विपरित प्रतिबन्धित कर दिया गया तथा उसको लगातार कायम रखा गया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गई है। अतः न्यायहित मे अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर आदेश जेर अपील की क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण मे संदर्भित आराजीयात के सम्बन्ध

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
2018		

में अपीलार्थी सहखातेदार काश्तकार दर्ज
रिकार्ड है, जिनको सुनवाई का अवसर
दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश के
माध्यम से प्रतिबन्धित किया जाना
उचित प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त
अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ
के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि
अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39
नियम 3 (क) व्यवहार प्रक्रिया संहिता
की पालना भी सुनिश्चित नही की
गई है, जो उचित प्रतीत नही होने
से अपीलार्थी की यह अपील अन्डर
मियाद शुमार की जाकर आदेश
जेर अपील दिनांक 01/4/2015 की
क्रियान्विति स्थगित रखी जाकर
प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस
निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती
है कि वे उभयपक्षो को सुनवाई का
समुचित अवसर प्रदान कर 30 दिवस
की अवधि मे प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण
करे। अपीलार्थी को जरिये अधिवक्ता
पाबन्द किया जाता है कि वे निर्णय की
प्रति सहित अधिनस्थ न्यायालय के
समक्ष दिनांक 06.04.18 को उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार
अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

अपील प्राधिकारी